भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4919
जिसका उत्तर शुक्रवार, 31 मार्च, 2023 को दिया जाना है

विधि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में महिलाएं

4919. श्री असादुद्दीन ओवैसी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में महिलाएं केंद्र और राज्य सरकार के विधि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में कई पदों पर विराजमान है ; और

(ख) यदि हां, तो वर्तमान में केन्द्रीय और राज्य विधि विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में कुलपति, कुलसचिव, प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर, तदर्थ प्रोफेसर के पदों की कुल संख्या की तुलना में इन पदों पर विराजमान महिलाओं की कुल विश्वविद्यालय/कॉलेज- बार संख्या कितनी है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : जी हां ।

(ख) : भारत में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों(एनएलयू) और राज्य विधि विश्वविद्यालयों की स्थापना राज्य विधानसभाओं द्वारा अधिनियमित राज्य अधिनियमों के अधीन की गई है और इस प्रकार वे राज्य विश्वविद्यालय हैं और केंद्रीय सरकार का कोई विषय नहीं है । बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा विधिक शिक्षा केंद्रों में शिक्षकों की कुल पद संख्या के लिए महिला कुलपति, रजिस्ट्रार, प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर, एडहॉक प्रोफेसर के बारे में कोई डेटा नहीं रखा जाता है।

****